

न्यायालय : न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)
(समक्ष : डी.एस.मण्डलोई)

आप. प्रक. क.—913 / 2008

संस्थित दिनांक—31.12.2008

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—मलाजखण्ड,

जिला—बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — अभियोजन

विरुद्ध

पीतमलाल साहू पिता माहूलाल साहू, उम्र 46 साल, जाति

निवासी बंजारीटोला थाना मलाजखण्ड, जिला बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — आरोपी

— :: निर्णय :: —

(आज दिनांक 09 / 12 / 2014 को घोषित किया गया)

(01) आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा — 234, 323, 325, 506 का आरोप है कि आरोपी ने दिनांक 25 / 12 / 2008 को समय 21:00 बजे, ग्राम बंजारीटोला स्कूल के पास आरक्षी केन्द्र मलाजखण्ड के अन्तर्गत लोकस्थान में फरियादी रमेश यादव को क्षोभ कारित करने के आशय से माँ-बहन की अश्लील गालियां उच्चारित कर उसे व अन्य सुननेवालों को क्षोभ कारित किया एवं डंडे से मारकर स्वेच्छया उपहति कारित की व लक्ष्मीप्रसाद को डंडे से सिर में मारकर घोर उपहति कारित की व फरियादी रमेश यादव को जान से मारने की धमकी देकर संत्रास कारित कर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

(02) अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी रमेश यादव ने दिनांक 25 / 12 / 2008 को आरक्षी केन्द्र मलाजखण्ड में इस आशय की प्रथम

सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि वह लक्ष्मी उर्फ गुड्डु यादव के साथ स्कूल के सामने घर के पास खड़े होकर बातचीत कर रहा था कि पीतमलाल साहू दुकान तरफ से डण्डा लेकर मादरचोद बहनचोद की गन्दी-गन्दी गालियां देते हुये जान से मारने की धमकी देकर हाथ में रखे डण्डे से लक्ष्मीप्रसाद के सिर में मारा वह बीच बचाव करने लगा तो उसे भी डण्डे से बांये तरफ कंधे में, दाहिने हाथ की हथेली में, बांयी आंख के पास कनपटी में मारा, जिससे उसे भी चोट आई। फरियादी की रिपोर्ट पर से आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 114/08 अन्तर्गत धारा 294, 323, 506 का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर आरोपी से डण्डा जप्त आवश्यक विवेचनापूर्ण कर आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 294, 323, 325, 506 के अन्तर्गत यह अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

(03) आरोपी को मेरे पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 294, 323, 325, 506 का आरोप-पत्र विरचित कर पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपी ने अपराध करना अस्वीकार किया तथा विचारण चाहा।

(04) आरोपी एवं आहत लक्ष्मीप्रसाद के मध्य आपसी राजीनामा हो जाने से आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 325 के आरोप में दोषमुक्त किया गया है एवं आरोपी पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 294, 323, 506 के आरोप में फरियादी रमेश यादव को क्षोभ कारित करने के आशय से माँ-बहन की अश्लील गालियां उच्चारित कर उसे व अन्य सुननेवालों को क्षोभ कारित किया एवं डंडे से मारकर स्वेच्छया उपहति कारित की व जान से मारने की धमकी देकर संत्रास कारित कर आपराधिक अभित्रास कारित किया का विचारण किया जा रहा है।

(05) आरोपी का बचाव है कि वह निर्दोष हैं, फरियादी ने रंजिश वश पुलिस से मिलकर उसके विरुद्ध झूठी रिपोर्ट पंजीबद्ध कराकर उसे झूठा फंसाया गया है।

(06) आरोपी के विरुद्ध अपराध प्रमाणित पाये जाने के लिए निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय है :-

- (1) क्या आरोपी ने दिनांक 25/12/2008 को समय 21:00 बजे, ग्राम बंजारीटोला स्कूल के पास आरक्षी केन्द्र मलाजखण्ड के अन्तर्गत

लोकस्थान में फरियादी रमेश यादव को क्षोभ कारित करने के आशय से मॉ-बहन की अश्लील गालियां उच्चारित कर उसे व अन्य सुननेवालों को क्षोभ कारित किया ?

(2) क्या आरोपी ने इसी दिनांक, समय व स्थान पर रमेश यादव को डंडे से बांये कंधे, दाहिने हाथ की हथेली, आँख के पास मारकर स्वेच्छया उपहति कारित की ?

(3) क्या आरोपी ने इसी दिनांक, समय व स्थान पर रमेश यादव को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर संत्रास कारित कर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

विचारणीय बिन्दु क्रमांक 1, 2 एवं 3 :-

(07) प्रकरण में अभिलेख पर आई साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए तथा साक्षियों की साक्ष्य की पुनरावृत्ति न हो, सुविधा की दृष्टि से विचारणीय बिन्दु क्रमांक 1, 2 एवं 3 का एक साथ विचारण किया जा रहा है।

(08) अभियोजन साक्षी/विवेचनाकर्ता बाबूलाल (अ.सा. 7) का कहना है कि उसने दिनांक 25/12/2008 को फरियादी रमेश यादव की मौखिक रिपोर्ट पर से आरोपी पीतमलाल के विरुद्ध अपराध क्रमांक 114/08 अन्तर्गत धारा 294, 323, 506 भा.दं.वि. का प्रथम सूचना प्रतिवेदन लेखबद्ध किया था, जो प्रदर्श पी-04 है। फरियादी रमेश यादव एवं साक्षी लक्ष्मी उर्फ गुड्डू, जानकीबाई, सविताबाई, मैकुल, सुनीताबाई, फुलबताबाई के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। घटनास्थल पर जाकर घटनास्थल का नजरी नक्शा तैयार किया था, जो प्रदर्श पी-05 है। आरोपी पीतमलाल से साक्षियों के समक्ष लकड़ी जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-06 तैयार किया था। आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-07 तैयार किया था। आवश्यक विवेचनापूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

(09) अभियोजन साक्षी डॉक्टर एम.मेश्राम (अ.सा. 6) का कहना है कि दिनांक 25.12.2008 को आहत रमेश पिता बिसरू, उम्र 35 साल को चिकित्सीय परीक्षण हेतु लाने पर उसने आहत के चिकित्सीय परीक्षण में बांयी आंख के नीचे एवं दाहिनी हथेली पर एक खरौंच, बांये कंधे पर सूजन होना पाया था। आहत को आई सभी चोटें साधारण प्रकृति की थी, जो उसके परीक्षण के दो घण्टे की भीतर की थी। उसके द्वारा तैयार की गई चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-03 है।

(10) किन्तु अभियोजन जानकीबाई (अ.सा. 2) का कहना है कि घटना के संबंध में उसे कोई जानकारी नहीं है। उसके सामने कोई मारपीट नहीं हुई। अभियोजन द्वारा साक्षी का पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी साक्षी ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है। इसी प्रकार अभियोजन साक्षी कविता खण्डेत (अ.सा. 3) का कहना है कि घटना उसके कथन से लगभग 3:00 बजे रात्रि की है। हल्ला सुनकर वह उसके घर से बाहर निकली तो देखा कि आरोपी पीतम और गुड्डू का झगड़ा हो रहा था।

(11) अभियोजन साक्षी सुनीताबाई (अ.सा. 4) का कहना है कि घटना उसके कथन से लगभग 3-4 वर्ष पुरानी रात्रि के 08:00 बजे की है। आरोपी एवं आहत लक्ष्मी यादव का झगड़ा हो रहा था। आरोपी पीतम ने लकड़ी के डण्डे से लक्ष्मी यादव को मार दिया, जिससे उसके सिर पर चोट आई। रमेश यादव ने बीच बचाव किया। अभियोजन द्वारा साक्षी का पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस बात से स्पष्ट रूप से इन्कार किया है कि आरोपी पीतम ने रमेश को उसके सामने मारपीट की थी तथा इसी प्रकार अभियोजन साक्षी मैकुलबाई (अ.सा. 5) का कहना है कि घटना उसके कथन से लगभग 5-6 साल पुरानी है। रात को झगड़ा हुआ था। झगड़ा कैसे हुआ उसे नहीं मालूम। उसने उसके पिता को आरोपी पीतम द्वारा गाली देते हुये एवं जान से मारने की धमकी देते तथा मारपीट करते हुये नहीं देखा था। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने अभियोजन का आंशिक मात्र भी समर्थन नहीं किया है।

(12) आरोपी एवं आरोपी के अधिवक्ता का बचाव है कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया। अभियोजन द्वारा साक्षी

जानकीबाई (अ.सा. 2), सुनीताबाई (अ.सा. 4), मैकुलबाई (अ.सा. 5) को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी अभियोजन का समर्थन नहीं किया है। विवेचनाकर्ता बाबूलाल (अ.सा. 7) के कथनों का अभियोजन द्वारा प्रस्तुत स्वतंत्र साक्षियों ने आंशिक मात्र भी समर्थन नहीं किया है तथा साक्षियों के कथनों का प्रतिपरीक्षण में भी खण्डन होने से अभियोजन का प्रकरण सन्देहस्पद है। अतः सन्देह का लाभ आरोपी को दिया जाये।

(13) आरोपी एवं आरोपी के अधिवक्ता के बचाव पर विचार किया गया।

(14) अभियोजन साक्षी/विवेचनाकर्ता बाबूलाल (अ.सा. 7) का कहना है कि उसने दिनांक 25/12/2008 को फरियादी रमेश यादव की मौखिक रिपोर्ट पर से आरोपी पीतमलाल के विरुद्ध अपराध क्रमांक 114/08 अन्तर्गत धारा 294, 323, 506 भा.दं.वि. का प्रथम सूचना प्रतिवेदन लेखबद्ध किया था, जो प्रदर्श पी-04 है। फरियादी रमेश यादव एवं साक्षी लक्ष्मी उर्फ गुड्डू, जानकीबाई, सविताबाई, मैकुल, सुनीताबाई, फुलबताबाई के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। घटनास्थल पर जाकर घटनास्थल का नजरी नक्शा तैयार किया था, जो प्रदर्श पी-05 है। आरोपी पीतमलाल से साक्षियों के समक्ष लकड़ी जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-06 तैयार किया था। आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-07 तैयार किया था। आवश्यक विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

(15) अभियोजन साक्षी डॉक्टर एम.मेश्राम (अ.सा. 6) का कहना है कि दिनांक 25.12.2008 को आहत रमेश पिता बिसरू, उम्र 35 साल को चिकित्सीय परीक्षण हेतु लाने पर उसने आहत के चिकित्सीय परीक्षण में बांयी आंख के नीचे एवं दाहिनी हथेली पर एक खरौंच, बांये कंधे पर सूजन होना पाया था। आहत को आई सभी चोटे साधारण प्रकृति की थी, जो उसके परीक्षण के दो घण्टे की भीतर की थी। उसके द्वारा तैयार की गई चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-03 है।

(16) किन्तु अभियोजन जानकीबाई (अ.सा. 2) का कहना है कि घटना के संबंध में उसे कोई जानकारी नहीं है। उसके सामने कोई मारपीट नहीं हुई। अभियोजन द्वारा साक्षी का पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी साक्षी ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है तथा इसी प्रकार अभियोजन साक्षी कविता खण्डेत (अ.सा. 3) का

कहना है कि घटना उसके कथन से लगभग 3:00 बजे रात्रि की है। हल्ला सुनकर वह उसके घर से बाहर निकली तो देखा कि आरोपी पीतम और गुड्डू का झगड़ा हो रहा था।

(17) अभियोजन साक्षी सुनीताबाई (अ.सा. 4) का कहना है कि घटना उसके कथन से लगभग 3-4 वर्ष पुरानी रात्रि के 08:00 बजे की है। आरोपी एवं आहत लक्ष्मी यादव का झगड़ा हो रहा था। आरोपी पीतम ने लकड़ी के डण्डे से लक्ष्मी यादव को मार दिया, जिससे उसके सिर पर चोट आई। रमेश यादव ने बीच बचाव किया। अभियोजन द्वारा साक्षी का पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस बात से स्पष्ट रूप से इन्कार किया है कि आरोपी पीतम ने रमेश को उसके सामने मारपीट की थी इसी प्रकार अभियोजन साक्षी मैकुलबाई (अ.सा. 5) का कहना है कि घटना उसके कथन से लगभग 5-6 साल पुरानी है। रात को झगड़ा हुआ था। झगड़ा कैसे हुआ उसे नहीं मालूम। उसने उसके पिता को आरोपी पीतम द्वारा गाली देते हुये एवं जान से मारने की धमकी देते तथा मारपीट करते हुये नहीं देखा था। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने अभियोजन का आंशिक मात्र भी समर्थन नहीं किया है।

(18) अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षी जानकीबाई (अ.सा. 2), सुनीताबाई (अ.सा. 4), मैकुलबाई (अ.सा. 5) के कथनों में एवं विवेचनाकर्ता तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट में गम्भीर विरोधाभास है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षी जानकीबाई (अ.सा. 2), सुनीताबाई (अ.सा. 4), मैकुलबाई (अ.सा. 5) को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी अभियोजन का समर्थन नहीं करने से आरोपी ने दिनांक 25/12/2008 को समय 21:00 बजे, ग्राम बंजारीटोला स्कूल के पास आरक्षी केन्द्र मलाजखण्ड के अन्तर्गत लोकस्थान में फरियादी रमेश यादव को क्षोभ कारित करने के आशय से माँ-बहन की अश्लील गालियाँ उच्चारित कर उसे व अन्य सुननेवालों को क्षोभ कारित किया एवं डंडे से मारकर स्वेच्छया उपहति कारित की तथा फरियादी रमेश यादव को जान से मारने की धमकी देकर संत्रास कारित कर आपराधिक अभित्रास कारित किया। यह विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है।

(19) उपरोक्त साक्ष्य की विवेचना एवं निष्कर्ष के आधार पर अभियोजन अपना

मामला युक्ति-युक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है कि आरोपी ने दिनांक 25 / 12 / 2008 को समय 21:00 बजे, ग्राम बंजारीटोला स्कूल के पास आरक्षी केन्द्र मलाजखण्ड के अन्तर्गत लोकस्थान में फरियादी रमेश यादव को क्षोभ कारित करने के आशय से माँ-बहन की अश्लील गालियां उच्चारित कर उसे व अन्य सुननेवालों को क्षोभ कारित किया एवं डंडे से मारकर स्वेच्छया उपहति कारित की तथा फरियादी रमेश यादव को जान से मारने की धमकी देकर संत्रास कारित कर आपराधिक अभित्रास कारित किया। अभियोजन का प्रकरण सन्देहस्पद प्रतीत होता है। अतः सन्देह का लाभ आरोपी को दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

(20) परिणाम स्वरूप आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 294, 323, 506 के आरोप में दोषसिद्ध न पाते हुए दोषमुक्त किया जाता है।

(21) प्रकरण में आरोपी पूर्व से जमानत पर है, उसके पक्ष में पूर्व के निष्पादित जमानत एवं मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं।

(22) प्रकरण में जप्तशुदा लकड़ी मूल्यहीन होने से विधिवत् नष्ट की जावे। अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार सम्पत्ति का निराकरण किया जावे।

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया ।

मेरे बोलने पर टंकित
किया गया ।

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर जिला बालाघाट (म0प्र0)